रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 1976/आश्विन 16, 1898

No. 191] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 1976/ASVINA 16, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th October 1976

SUBJECT.—*Import of raw materials, components and spares by the proposed units during* 1976-77—*Submission of bond.*

No. 101-ITC(PN)/76.—Attention is invited to the provision contained in para 82(8) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1976-77 in terms of which, if a proposed unit in the small scale sector wants to obtain licence/release order in its own name for import/release of raw materials, components and spare parts, it should furnish a bond supported by bank guarantee for an amount equal to 50 per cent of the c.i.f. value of the licence/release order.

2. On a review, it has been decided that the amount of bank guarantee to be furnished by the proposed units in the small scale sector for obtaining licence/release order in their own name for raw materials, components spares would be 25 per cent of the c.i.f. value of the licence/release order.

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्र

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1976

विषय.—1976-77 के दौरान प्रस्तावित एककों द्वारा कच्चे माल, संघटकों एवं फालतू पुर्जों का आयात—बांड का प्रस्तुत करना।

सं० 101-आई टी सी (पी एन)/76.—आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैंड बुक 1976-77 की कंडिका 82 (8) में विहित व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार यदि लघु पैमाने क्षेत्र का एक प्रस्तावित एकक कच्चे माल संघटकों एवं फालतू पुर्जों के आयात के लिए अपने नाम में लाइसेंस/रिहाई आदेश प्राप्त करना चाहता है तो उसे लाइसेंस/रिहाई आदेश के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 50% के बराबर धनराशि के लिए बैंक गारन्टी के साथ एक बांड भेजना चाहिए।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि लघु पैमाने क्षेत्र के प्रस्तावित एककों द्वारा कच्चे माल, संघटकों एवं फालतू पुर्जों के लिए अपने नाम में लाइसेंस/रिहाई आदेश प्राप्त करने के लिए भेजी जाने वाली बैंक गारन्टी की धनराशि, लाइसेंस/रिहाई आदेश के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 25% के लिए होगी।

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976